Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IX, Issue No. XVIII, April-2015, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

हिन्दी भाषा : अतीत एवं वर्तमान

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IX, Issue No. XVIII, April-2015, ISSN 2230-7540

हिन्दी भाषा : अतीत एवं वर्तमान

Manjusa Rani

Hindi Lecturer, Shri Durga Mahila College, Tohana (Haryana)

----------X----------

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी का उद्‌भव और विकास संस्कृत से माना जाता है, परन्तु संस्कृत से हिन्दी तक की विकास यात्रा में कई तरह के परिवर्तन आते रहे। कभी वैदिक संस्कृत, कभी पालि, कभी प्राकृत और कभी अपभ्रंश के तीन रूपों (सौरसेनी, मागधी एवं महाराष्ट्री) में भोलानाथ तिवारी सौरसेनी से हिन्दी की जन्मतिथि सातवीं, नवीं व दसवीं शताब्दी मानते हैं, जबकि रामचन्द्र शुक्ल ग्यारहवीं। 'हिन्दी' शब्द पहले स्थानवाची था, बाद में भाषावादी बन गया क्योंकि संस्कृत का 'स' फारसी में 'ह' होने के कारण सिन्धु, सिंध और सिंधी फारसी में हिंदू, हिंद और हिंदी हो गया। वास्तव में फारसी के निवासियों द्वारा हिंदी नाम प्रदृत हुआ है। हिंदी कई नामों से जानी जाती है जैसे– हिन्दी, हिंदवी, देहलवी, रेखता, दक्खिनी, उर्दू, गुजरी, हिंदुस्तानी एवं खड़ी बोली आदि। 1030 ईस्वी में सुल्तान महमूद के दरबारी कवि अबुल फजल बैकही ने हिन्दी और संस्कृत भाषा के लिए हिन्दी या हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया। उसके पश्चात् 13वीं शताब्दी में मुहम्मद आओफी ने 'हिंदी' शब्द का प्रयोग हिंद की भाषा केक अर्थ में किया है। मुसलमानों ने हिंदी या हिंदवी के तीन अर्थ निकले। हिंद देश के वासी के रूप में और भारतीय भाषा हिंद या संस्कृत के अर्थ में। अमीर खुसरो, शैफ शरफुद्दीन अशरफ, कुतुबन आदि ने हिंदवी का प्रयोग केवल हिंदी के लिए किया। उस समय हिंदी भाषा का अर्थ था खड़ीबोली का वह रूप जो मेरठ, सहारनपुर की बोली के साथ उसमें पंजाबी, हरियाणवी, बृज, अवधी आदि भाषा के शब्द भी प्रयुक्त थे। हिंदी की इस मिश्रित भाषा को मुसलमान कवियों ने फारसी शैली में रचनात्मक उपयोग करके 'रेखता' नाम दिया। अमीर खुसरो, गालिब आदि ने फारसी और भारतीय पद्धति को मिलाकर छंदों की रचना की है। पुरानी हिंदी तत्कालीन खड़ी बोली के प्रभाव को ग्रहण कर 'दक्खिनी' कहलाने लगी, जिसमें आदिलशाही, कुतावशाही, बरीदशाही, इमादशाही तथा निमाशाही ने साहित्य की रचना की। इसके बाद के कवियों ने इसमें प्रचुर मात्रा में अरबी–फारसी के शब्द भर दिए, जिससे आगे चलकर उत्तर भारत में वह 'उर्दू' कहलाई। 'उर्दू' का मूल शब्द है 'ओई' जिसका अर्थ होता 'लश्कर'। दरअसल 'ओर्दू' शब्द ही आम–बोलचाल में बिगड़कर 'उर्दू' प्रसिद्ध हो गया। मुगल जब भारत आए तो उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में लश्कर डालते रहे। उनकी भाषा में इन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द घुलमिल गए। दिल्ली, मेरठ की बोली लश्करों और छावनियों के साथ घूमती रही। उसमें देशी बोली के साथ–साथ अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द मिल गए तो या भाषा 'जबान–ए–उर्दू–ए–मुअल्ला' बन गई जिसमें से जबान एवं मुअल्ला हटकर केवल 'उर्दू' रह गया। खड़ी बोली जिस प्रकार दक्षिण जाकर 'गुजरी' हो गई, जिसमें अरबी, फारसी के अतिरिक्त गुजराती शब्दों का भारी समावेश हुआ। हिन्दी और उर्दू के मिले–जुले रूप को ही 'हिन्दुस्तानी' ने जन्म लिया। खुसरो की भाषा शुद्ध बोलचाल और कहीं–कहीं ब्रजभाषा से खड़ीबोली (अर्थात् उसका अरबी–फारसी ग्रस्त रूप उर्दू) निकल पड़ी।

हिन्दी, वास्तव में खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। उन्नीसवी शताब्दी में इसका प्रयोग ज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए किया गया। हिंदी की विशेषता ही यही है कि इसे अन्य भाषा–भाषी लोग भी शीघ्रता से समझ लेते हैं। हिंदी और खड़ी बोली एक–दूसरे के पर्यायवाची हैं। मानक भाषा के रूप से प्रतिष्ठित हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायपुर, अंबाला, दिल्ली, हिसार, रोहतक, करनाल एवं देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती थी। खड़ी बोली का अस्तित्व दो रूपों में विद्यमान है। बोली एवं हिन्दी भाषा के रूप में। करीब नौ सौ वर्ष के संघर्ष पश्चात् इसे मूल नाम मिला। 'हिन्दी' सन् 1883 में फोर्ट विलियम कॉलेज, लल्लूलाल जी एवं सदलमिश्र ने हिंदी की जगह खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी का अर्थ अगल विशुद्ध है तो खड़ी बोली का अर्थ रहित विशुद्ध मानक हिंदी है। खड़ी बोली का दो रूपों में विकास हुआ देवनागरी हिंदी और फारसी में उर्दू। हरिचंद जी ने ब्रजभाषा को जनानी और खड़ीबोल को मर्दानी कहा अर्थात् अपने गुण, ओज के कारण इसने यह नाम पाया। हिंदी के विकास–क्रम पर गौर करें तो पता चलता है कि दिल्ली, मेरठ, आगरा आदि शहरों के आसपास के इलाकों में कौरवी के रूप में बोली जाने वाली विशेष बोली सामाजिक, राजनीतिक, परिस्थितियों में खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई और हिंदी एवं उसने बाद अन्य राज्यों तक भी उसका विस्तार हुआ। स्वाधीनता संग्राम के उदय और विकास के पहले ही खड़ीबोली हिंदी का प्रचार–प्रसार हो चुका था। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खुद को 'हिन्दुस्तानी तूती' कहा था और साथ में यह भी कि 'मुझमें हिन्दी में बात करो, जिसे सुन फारसी और तुर्की विद्वान दंग रह गए थे। इसी तरह कबीर की साखियों में खड़ी बोली हिंदी, अंग्रेजी के सहायक रेजीडेंट सी.टी. मेटकाफ में 21 अगस्त 1806 को कहा कि उनके शिक्षक गिल फ्राइंस्ट न उन्हें जिस भाषा में शिक्षा दी है, कलकत्ता से लाहौर कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में इसी भाषा का आम व्यवहार देखा है। जॉन शैक्सपीयर ने 1845 में हिंदुस्तानी का व्याकरण भी तैयार किया उन्होंने लिखा, 'हिंदुस्तानी भारत की सबसे आम–फहम और व्यवहार में उपयोगी बोली है।' (डॉ. रामबिलास शर्मा की पुस्तक भाषा और समाज से उद्धृत है) अतः उस समय फौज व देशी अदालतों की भाषा प्रसार था। यही कारण रहा कि स्वाधीनता संग्राम में अनेक देशभक्तों के नामों के साथ इसी भाषा में उपनामों को जोड़ा जैसे तिलक को लोकमान्य, चितरंजनदास को देशबंधु, मालवीय को महात्मा, गांधी को महात्मा, सुभाषचंद्र

www.ignited.in

बोस को नेताजी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को देशरत्न, भगत सिंह को शहीद–ए–आजम इस प्रकार हिंदी ने स्वाधीनता संग्राम में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्र भाषा के रूप में और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकृति दी। 26 जनवरी 1964 को संविधान के अनुच्छेद 343 की धारा–1 के अधीन हिंदी संघ की राजभाषा घोषित कर दी गई जिसका अर्थ है राजकाज चलाने की भाषा, जो केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तथा स्टेट लैंग्वेज व ऑफिस लैंग्वेज का अनुवाद है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी को मिली मान्यता केवल कागजों तक ही सीमित है, जिसका क्रियान्वयन कुछ ही अंशों में हो पाया है। इसी कारण अंग्रेजी को भी अनिश्चितकाल के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी गई, जिसके चलते केन्द्र में द्विभाषी नीति चल रही है। उदाहरण स्वरूप सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दोनों भाषाओं में जारी होते हैं, किन्तु राजभाषा विभाग की जय–जयकार को चलते हिन्दी पिछड़ नहीं पाती। जिन क्षेत्रों में यह मातृभाषा नहीं है, वहीं सम्पर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। संविधान की धारा 343 में यह प्रावधान किया गया था कि केन्द्र और राज्य तथा राज्यों में आसी पारस्परिक संप्रेषण व पत्राचार की भाषा नहीं होगी, जो संध की राजभाषा स्वीकृत है। इस धारा का आशय यह था कि 1950 से लेकर 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी संघ की राजभाषा माना गया है और उसके बाद केवल हिंदी, लेकिन आज तक भी हिंदुस्तानियों को यह अहसास नहीं होता कि इस धारा के तहत सम्पर्क भाषा हिंदी को अपनाएं। केवल महाराष्ट्र, पंजाब एवं गुजरात को यह अहसास हुआ, जहाँ 50 वर्ष पूर्व तक हिंदी पहुंची भी नही थी। आज हिंदी के टेलीप्रिंटर देशभर में समाचार भेजते हैं, कम्प्यूटर में हिन्दी बनने लगी है और हिंदीत्तर भाषा प्रदेशों में हिंदी सिखाई जा रही है। राष्ट्र और समाज में जो विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय हैं, उनकी मंशा केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, धन और सत्ता हड़पना है जिनके विरुद्ध संघर्ष करें तो हिंदी की प्रगति और राष्ट्रीय एकता के मजबूत होने की आशा की जा सकती है। भूमण्डलीकरण के वर्तमान समय में हिंदी की अस्मिता खतरे में हैं। उसके प्रयोग में जितना सोमा विस्तार हुआ है उतना ही वह अपनी जातीय चेतना, अस्मिता से दूर होता हुआ भ्रष्ट होता गया है।

संदर्भ :

1. हिन्दी भाषा : भोलानाथ तिवारी
2. उपकार : डॉ. दिलीप पाण्डेय।
3. हिन्दी भाषा : डॉ. हरदेव बिहारी।
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ. नगेन्द्र।
5. भाषा और समाज : डॉ. रामबिलास शर्मा।
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ. अशोक जेरथ
7. हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता : पुखराज मारू।